(भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खण्ड 3, उपखण्ड (i) में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना सं. 11/2013- केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (गै.टे.)

नई दिल्ली, 02 अगस्त, 2013

सा.का.नि. (अ)- केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियमावली, 2002 के नियम 9 के उपनियम (2) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क बोर्ड उक्त नियमावली के नियम 9 के उपनियम (1) के अंतर्गत ऐसे अपंजीकृत परिसरों को पंजीकरण से छूट प्रदान करता है जिनका प्रयोग केन्द्रीय उत्पाद शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1985 की प्रथम अनुसूची के अध्याय 30 के अंतर्गत आने वाले औषधिक उत्पादों, कम 'सीलिंग प्राइस' वाले, पर स्टिकर लगाने या रिप्रिंटिग करने, या रिलेबेलिंग करने या पुन: पैकिंग करने के लिए ही होता हो। ऐसा उन अधिसूचनाओं के अनुपालन में किया जा रहा है जो कि नेशनल फार्मास्युटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी द्वारा ड्रग्स (प्राइसेस कन्ट्रोल) ऑर्डर, 2013 के अंतर्गत जारी किया गया है, जिसको कि भारत के राजपत्र में का.आ. 1221 (अ), दिनांक 15 मई, 2013 को प्रकाशित किया गया था और यह अधिसूचना सं. 22/2013- केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, दिनांक 29 जुलाई, 2013 जिसे औषधिक उत्पादों को केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के भुगतान से छूट देने के लिए जारी किया गया था, में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहेगा।

(फा.सं. 96/29/2013-सीएक्स 1)

(पंकज जैन)

अवर सचिव, भारत सरकार